राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1753/2025

बृजेश कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. उप शासन सचिव, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू– संरक्षण, पंचायत समिति, केशोरायपाटन, बूंदी।
3. मनीष तोमर, सहायक अभियंता, कार्यालय, अधिशाषी अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, पंचायत समिति, धौलपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण पंचायत समिति, केशोरायपाटन, बूंदी में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सहायक अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति मासलपुर जिला करौली में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के रिक्त पद पर 267 कि.मी. दूर केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण के दौरान यात्रा–भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर स्थानान्तरण किया गया था। अपीलार्थी को एक वर्ष की अवधि में दो बार जिले से बाहर राजस्थान पंचायती राज (स्थानान्तरित गतिविधियां) नियम–2011 के नियम 8 (iii) के विपरीत एवं बिना पंचायत विभाग की अनुमति के स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक अभियंता के

पद पर जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण पंचायत समिति, केशोरायपाटन, बूंदी में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी में सहायक अभियंता के पद पर जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण पंचायत समिति, केशोरायपाटन, बूंदी में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सहायक अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति मासलपुर जिला करौली में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य